भारत सरकार
इस्पात मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3350
20 मार्च, 2026 को उत्तर के लिए

सालाव, रायगढ़ में हरित इस्पात संयंत्र

3350 **श्री धैर्यशील मोहन पाटिलः**

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने सालाव, जिला रायगढ़ स्थित समर्पित हरित इस्पात संयंत्र की अंतरराष्ट्रीय बाज़ारों में कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (सीबीएएम) मानकों की पूर्ति हेतु रणनीतिक महत्ता का आकलन किया है;
(ख) क्या सालाव परियोजना मंत्रालय की हरित इस्पात रोडमैप में सम्मिलित है, यदि हां, तो इसके कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण लक्ष्य और समय-सीमा क्या हैं;
(ग) क्या सरकार वैश्विक स्वीकृति सुनिश्चित करने हेतु हरित इस्पात वर्गीकरण, प्रमाणन ढांचा और कार्बन प्रकटीकरण मानक अधिसूचित करने का प्रस्ताव रखती है; और
(घ) वैश्विक कार्बन व्यापार नियमों के संदर्भ में भारत के इस्पात निर्यात की सुरक्षा हेतु कौन-से वित्तीय, तकनीकी व नीतिगत उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री **(श्री भूपतिराजु श्रीनिवास वर्मा)**

(क) से (घ): इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है और सरकार देश में इस्पात क्षेत्र के विकास के लिए एक अनुकूल नीतिगत वातावरण सृजित कर एक सुविधाप्रदाता के रूप में कार्य करती है तथा आयात और निर्यात से संबंधित निर्णय इस्पात कंपनियों द्वारा प्रोद्यो–वाणिज्यिक विचारों और बाजार की गतिशीलता के आधार पर लिए जाते हैं।

इस्पात मंत्रालय ने कम उत्सर्जन वाले इस्पात को परिभाषित और वर्गीकृत करने के लिए मानक प्रदान करने हेतु दिनांक 23.12.2024 को ग्रीन स्टील के लिए वर्गीकरण पहले ही अधिसूचित किया है।

भारत के इस्पात आयात और निर्यात की सुरक्षा हेतु सरकार ने निम्नलिखित नीतिगत उपाय किए हैं:-

i. सरकारी अधिप्राप्ति हेतु 'मेड इन इंडिया' इस्पात को बढ़ावा देने के लिए घरेलू स्तर पर विनिर्मित लौह एवं इस्पात उत्पाद (डीएमआईएंडएसपी) नीति का कार्यान्वयन।
ii. देश के भीतर 'विशेष इस्पात' के विनिर्माण को बढ़ावा देने और पूंजीगत निवेश को आकर्षित कर आयात को कम करने के लिए विशेष इस्पात हेतु उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना की शुरुआत करना।

जारी.....2/-

iii. उद्योग, प्रयोक्ताओं और बड़े पैमाने पर आम जनता को गुणवत्तायुक्त इस्पात की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आयात के साथ-साथ घरेलू बाजार में निम्न स्तर/दोषपूर्ण इस्पात उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने के लिए इस्पात गुणवत्ता नियंत्रण आदेश लागू करना।

iv. केंद्रीय बजट 2026-27 में, घरेलू विनिर्माताओं का समर्थन करने और घरेलू इस्पात विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए :-

क. फेरो-निकेल पर शून्य मूलभूत सीमा शुल्क (बीसीडी) यथावत रखा गया है।

ख. कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील के विनिर्माण के लिए उपयोग होने वाले फेरस स्क्रैप, मैग्नीशियम ऑक्साइड (एमजीओ) कोटेड कोल्ड रोल्ड स्टील कॉइल और निर्दिष्ट वस्तुओं पर मूल सीमा शुल्क छूट दिनांक 31.03.2028 तक बढ़ा दी गई है।

v. चीन और वियतनाम से आयातित वेल्डेड स्टेनलेस स्टील पाइपों और ट्यूबों पर प्रतिकारी शुल्क (सीवीडी) लागू है।

vi. सरकार ने घरेलू इस्पात उद्योग के हितों की रक्षा के लिए टैरिफ शीर्षक 7208, 7209, 7210, 7211, 7212, 7225 और 7226 के तहत आने वाली वस्तुओं पर तीन वर्ष की अवधि के लिए भारत में "गैर-मिश्रधातु और मिश्रधातु इस्पात फ्लैट उत्पादों" के आयात पर सुरक्षा शुल्क लगाया है।

*****